

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020

अज अदालत नं. 121/2020, 34/2020 आदिवासी मुकाम कोटा

तहसीलदार बनाम खसरा

किस्म मुकदमा 36 L.R.A. Act नं. 27 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
16/9/20	<p>प्रार्थना-पत्र धारा अन्तर्गत 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार लाडपुरा की ओर से मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली निर्णय वास्ते दिनांक: 17.09.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">dry</p>	
17/9/20	<p style="text-align: center;">-:निर्णय:-</p> <p>प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा धारा अन्तर्गत 136 एल0आर0एक्ट के तहत राजस्व नक्शें व जमाबन्दी में खसरा नम्बरान् का समानीकरण कर राजस्व नक्शें में दुरुस्ती बाबत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दर्शाया है कि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का गोदल्याहेडी के खसरा नम्बरान् के सेटलमेन्ट जमाबन्दी एवं नक्शें में अन्तर हैं। चूंकि वन-टू-वन मेंपिंग हेतु राजस्व नक्शें व जमाबन्दी में समानीकरण हेतु मिसल बन्दोबस्त के अनुसार राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर की शुद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम राजपुरा पटवार हल्का गोदल्याहेडी के खसरा नं. 405/537 के स्थान पर 505/637 राजस्व नक्शें में दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा को निर्णय की प्रति पालना हेतु प्रेषित की जावें।</p> <p>निर्णय आज दिनांक: 17/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">dry</p> <p style="text-align: right;">मोहनलाल प्रतिहार उपखण्ड अधिकारी कोटा</p>	